वैशाली
प्रखंड नियोजन इकाई जन्दाहा
कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली–2012 (यथा संशोधित) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0–1378 दिनांक–17.12.2021 एवं विभागीय पत्रांक–33 दिनांक–18.01.2022 के द्वारा राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के विरूद्ध उ0 मध्य विद्यालय जगदीशपुर पूर्वी में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया हैं । यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :–

क्र सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
01	अर्जुन यादव	राजेन्द्र यादव	ग्रा०-मिट्ठापारा पो०-कटैया	11	UR	01.07.93	UMS जगदीशपुर पूर्वी

1. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंक–पत्र, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। साथ ही प्रमाणपत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में (विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न) प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगें।
2. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह –मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधि घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. प्रमाणपत्र जाली / अन्तर्लेपन / गलत पाये जाने की स्थिती में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगें।

28.5.22

सचिव,
प्रखंड नियोजन इकाई जन्दाहा

ज्ञापांक 03 दिनांक 28.05.2022

प्रतिलिपि :–1. संबंधित नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के WEBSITE पर UPLOAD करना चाहेंगे।

28.5.22

सचिव,
प्रखंड नियोजन इकाई जन्दाहा

12.6.22

Scanned with OKEN Scanner